

स्टेट

बनाम

अमीरुददीन

15.11.2022

जमानत प्रा0 पत्र प्रस्तुत। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रा0 पत्र पर बल न देने का कथन किया गया
है। जमानत प्रा0 पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट
फैजाबाद।